

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : ५ मार्च, 2018

उत्तर प्रदेश
१५/३/१८
५-५५ PM
उत्तर प्रदेश कार्यक्रम विभाग।

विषय: शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-३७ में प्राविधानित धनराशि से जनपद-फैजाबाद की 04 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-५६३२/७६/एक/एयीएमबीवीवाई/2016-17, दिनांक 21 मार्च, 2017 एवं जिलाधिकारी/अध्यक्ष, इडा, फैजाबाद का पत्र संख्या-५०१/इडा/2017-18 दिनांक 12 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत जनपद-फैजाबाद की नगर पालिका परिषद, रुदौली की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 04 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-७४८/2016/२४५१/६९-१-१६-९२(अ०सं०-३७)/२०१६, दिनांक 22 नवम्बर, 2016 द्वारा रु 235.52 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु 117.76 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु 'मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना' के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-३७ में प्राविधानित वजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-६ में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रु 117.76 लाख (रूपये एक करोड़ सत्रह लाख छिह्नतर हजार मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवर्त्यों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-३२/६९-१-१३-१४(३१)२०१२टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

मेरा नाम/पार्टी का अधिकारी

क्रमांक:.....2

१२/३१८

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार लिहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन इडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, विशेष सचिव अथवा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३० प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाठचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तीयों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सूजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त

महाराष्ट्र
५१/११
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-४७/2018/202(1)/69-1-2018 तिथिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, फैजाबाद।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।


आज्ञा से,

/(
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- ०७ /2018/202/69-1-2018-92(अ०सं-३७)/2016 दिनांक १५ मार्च, 2018 का
संलग्नक। (धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्थीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
१.	फैजाबाद	न०पा०प०, रुदौली	वार्ड नं० ०३ मीरापुर में मैन रोड से परशुराम के घर तक, रासीदा के घर से फरीद के घर तक, याइद के घर से मिश्रीलाल के घर तक, दरगाह के चारों तरफ व करबला खाँई तक, सुन्दर के घर से मोतीलाल के घर तक, पाले के घर से काली माता मन्दिर तक, जगदीश के घर से गया प्रसाद व राम सुरेश के घर तक, मौ० हरों के घर से सानझलाही के घर तक, मौ० अलताफ के घर से इमुदीन के घर तक, धुन्ने के घर से राम सरन के घर तक, कललू के घर से नाला तक, श्री चन्द के घर से हीरालाल के घर तक, इदरीस के घर से यादमोहन्मद व नसीर के घर तक, भीरा पुर कुलदा सं० मार्ग से सरेहा के घर तक व विद्या पब्लिक स्कूल से जामिया असर्फिया साबरी स्कूल तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	124.46	62.23
२	तदैव	तदैव	वार्ड नं० १३ अकबरगंज में अनिल के घर से इंटरलाकिंग तक एवं इंटरलाकिंग से रहवार के घर तक, रामगोपाल के घर से जिटेन्ड्र के घर तक, जिटेन्ड्र के घर से गुलजारी के घर तक, प्रेम गोहनलाल व श्यामलाल के घर से मैन रोड तक, मैन रोड से रामसनेही के घर तक, मैन रोड से सिव्यू के घर तक, एल०आई०सी० के पीछे से उमर के घर तक, रामसागर के घर से पुष्कर के घर तक एवं राजेन्द्र के घर से विद्यासागर के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	57.78	28.89
३	तदैव	तदैव	वार्ड नं० २० शेखाना उत्तरी में हजो जमील अहमद के घर से मौ० बीनहाजी, वसीम व जहूर के घर तक एवं सादिक की दुकान से सायर, नाजिम व रैइस कुरैसी के घर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.98	7.49
४	तदैव	तदैव	वार्ड नं० १८ प्रेरजामी में मन्दिर से माध्य व मास्टर इमरान के घर तक, बहादुर शाह के घर से विक्रम के घर तक, सफीक खां के घर से मूसीर के घर तक एवं अलई तालाब से रामलखन के घर से होते हुये बुढवाल बाबा मजार होते हुये बाबूलाल की बाऊँड़ी तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	38.30	19.15
योग				235.52	117.76

(रूपये एक करोड़ सत्रह लाख छिह्न्तर हजार मात्र)।


(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु संचिव।